बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः–2/अ0प्र0–2–81/2014 2294 /पटना, दिनांक :– 27-10-23

भागलपुर जिले के असरगंज करहरिया आर0ई0ओ0 सड़क से पीपरा, करहरिया आर0ई0ओ0 सड़क से पीपरा, शाहकुण्ड असरगंज आर0सी0डी0 रोड से देवधा पथ के संबंध में कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पायी गई त्रुटियों/अनियमितता के संबंध में श्री विनोद कुमार दत्त, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर से स्पष्टीकरण की माँग पत्रांक–1105 अनु0 दिनांक–30.05.2017 द्वारा की गई।

2. श्री दत्त, सहायक अभियंता से वांछित स्पष्टीकरण स्मारित करने के बावजूद अप्राप्त रहने के कारण समीक्षोपरांत श्री दत्त, सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रासंगिक पथ में GSB की औसतन मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम पाये जाने, PCC Surface Exposed पाये जाने, पुनरीक्षित प्राक्कलन से कराये गये कार्य प्रावधानित मदों की जाँच के क्रम में GSB की मोटाई 60 मी0मी0 कम पाये जाने एवं अधिकांश जगह पर B.T. सतत उखड़ जाने के आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना सं0–1086 सह पठित ज्ञापांक–1087 अनु0 दिनांक–10.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली 2005 के नियम–17 के तहत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. इस बीच श्री विनोद कुमार दत्त, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को आदेश संख्या 1764 दिनांक 06.12.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–13 अनु0 दिनांक–08.04.2022 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दत्त के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 एवं 2 को आंशिक रूप से प्रामाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री दत्त से विभागीय पत्रांक–1230 अनु0 दिनांक–26.07.2022 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की माँग की गयी। श्री दत्त को द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु स्मारित करने के बावजूद भी श्री दत्त द्वारा अपना बचाव बयान विभाग को अंततः समर्पित नहीं किया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख/साक्ष्य के समीक्षोपरांत श्री विनोद कुमार दत्त, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1574 अनु० दिनांक 05.07.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार

लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2284 दिनांक 29.09.2023 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

7. अतः उक्त आलोक में श्री विनोद कुमार दत्त, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-

(i) पेंशन से दस प्रतिशत की राशि की कटौती अगले पॉच वर्षों तक।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/10/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-81/2014 2295 दिनांक :- 27.10.23

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/10/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-81/2014 2295 दिनांक :- 27.10.23

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-81/2014 2295 दिनांक :- 27.10.23

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-5/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री विनोद कुमार दत्त, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार पता- ज्योति सदन, विवेकानन्द इन्टरनेशलन स्कूल के सामने दुर्गा आश्रम गली, शेखपुरा, जिला-पटना-800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–81/2014 2295 दिनांक :– 27.10.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।

26/10/2023

विशेष सचिव